DAILY CURRENT AFFAIRS

Result Mitra

05 APRIL 2025

THE HINDU

The Indian EXPRESS

Hindustan Times

दैनिक जागरण

जनसत्ता

UPSC(IAS/PCS) AND ALL COMPITETIVE EXAM

pib

THE HINDU

The Indian EXPRESS
JOURNALISM OF COURAGE

ABHAY SIR

Events in News

- अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता एवं खदान कार्रवाई सहायता दिवस
- डोनाल्ड ट्रंप और टैरिफ का खेल
- मध्यप्रदेश शिखर खेल पुरस्कार 2023
- गिरफ्तारी के दौरान कानूनी मानदंडों का पालन अनिवार्य
- शून्य काल (Zero Hour)

Result Mitra
अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता एवं खदान कार्रवाई सहायता दिवस

प्रश्न 1: "Mine Action" कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं?

1. "Mine Action" का तात्पर्य केवल खदानों को हटाने की प्रक्रिया से है।
2. संयुक्त राष्ट्र Mine Action Service (UNMAS) Mine Action गतिविधियों का समन्वय करता है।
3. भारत Mine Ban Treaty (Ottawa Treaty) का हस्ताक्षरकर्ता है।

उत्तर विकल्प:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) केवल 2

अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता

Daily Current News

Result Mitra

- **अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता एवं खदान कार्रवाई सहायता दिवस (International Day for Mine Awareness and Assistance in Mine Action)**
- **तारीख: 4 अप्रैल**
- **1. उद्देश्य:**
- इस दिवस का उद्देश्य युद्ध के बाद छोड़ी गई बारूदी सुरंगों (Landmines) और अन्य विस्फोटक अवशेषों से होने वाले खतरों के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है।
- यह दिन उन लोगों को सहायता प्रदान करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है जो इन विस्फोटकों के कारण प्रभावित हुए हैं।

अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता

Daily Current News

Result Mitra

- **2. स्थापना और इतिहास:**
- यह दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 8 दिसंबर 2005 को घोषित किया गया था।
- पहली बार मनाया गया: 4 अप्रैल 2006

- **3. आयोजक संस्था:**
- संयुक्त राष्ट्र खदान कार्रवाई सेवा (UNMAS – UN Mine Action Service) इस दिवस से जुड़े कार्यक्रमों का संचालन करती है।

- **4. कार्यक्षेत्र:**
- बारूदी सुरंग हटाना
- शिक्षा एवं जागरूकता अभियान
- पीड़ितों के पुनर्वास में सहायता
- नीतिगत और तकनीकी सहयोग प्रदान करना

अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता

Daily Current News

- **5. बारूदी सुरंगों से खतरे:**
- विश्व के कई देशों में युद्ध के बाद लाखों विस्फोटक अवशेष जमीन के भीतर छिपे हैं।
- ये नागरिकों (विशेष रूप से बच्चे) के लिए गंभीर खतरा हैं।
- अफगानिस्तान, सीरिया, यमन, दक्षिण सूडान आदि देश इससे सबसे अधिक प्रभावित हैं।

- **6. भारत और खदानें:**
- भारत बारूदी सुरंगों के उत्पादन और भंडारण करने वाला देश है।
- भारत ने "ओटावा संधि" (Mine Ban Treaty) पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, लेकिन बारूदी सुरंगों के मानवीय उपयोग से बचने की बात करता है।
- भारत ने खदान प्रभावित क्षेत्रों में सहायता के लिए UN Peacekeeping missions में योगदान दिया है।

- **7. 2024 की थीम (Theme):**
- **> "Protecting Lives. Building Peace."**
- (जीवन की रक्षा करना, शांति का निर्माण करना)
- 2025 में, खदान जागरूकता और खदान कार्रवाई में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस को " सुरक्षित भविष्य यहीं से शुरू होता है" मनाया जा रहा था ।

- **भारत में खदानों से संबंधित प्रमुख कानून (Mining Laws in India)**
- **1. खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957**
- **(Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 – MMDR Act)**
- **मुख्य विशेषताएं:**
- यह अधिनियम भारत में खनिजों की खोज और उत्खनन को नियमित करने वाला प्रमुख कानून है।
- इसमें खनिजों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

- Major Minerals (जैसे: कोयला, लोहा, बॉक्साइट)
- Minor Minerals (जैसे: बालू, बजरी)
- राज्य सरकारों को Minor Minerals पर नियंत्रण का अधिकार है।
- Major Minerals पर नियंत्रण केंद्र सरकार के पास है।

- **2. खनिज अधिनियम (संशोधन) 2015 और 2021**
- **महत्वपूर्ण सुधार:**
- 2015 संशोधन:
- पारदर्शिता लाने के लिए ऑक्शन आधारित लाइसेंस प्रणाली की शुरुआत की गई।
- Distinction between reconnaissance, prospecting and mining licenses समाप्त किया गया।
- District Mineral Foundation (DMF) की स्थापना – खनिज क्षेत्र से प्रभावित लोगों की मदद हेतु।
- National Mineral Exploration Trust (NMET) की स्थापना – अन्वेषण को बढ़ावा देने के लिए।

- **2021 संशोधन:**
- लाइसेंस के ट्रांसफर की सुविधा।
- निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया।
- पुराने लाइसेंसों को बिना ऑक्शन के रिन्यू करने की व्यवस्था समाप्त की गई।

- **3. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986**
- खनन परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति (Environmental Clearance - EC) आवश्यक है।
- पर्यावरण प्रभाव आंकलन (EIA) रिपोर्ट बनानी होती है।

- **4. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980**
- यदि खनन क्षेत्र वन भूमि में आता है, तो केंद्रीय स्वीकृति अनिवार्य है।

- **5. कोयला खनन कानून (Coal Mines Special Provisions Act, 2015)**
- सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द की गई 214 कोयला खदानों को दोबारा नीलामी के जरिए आवंटित करने हेतु बनाया गया।
- **6. खदान अधिनियम, 1952 (Mines Act, 1952)**
- खानों में श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित प्रावधान करता है।
- Directorate General of Mines Safety (DGMS) इसका निरीक्षण करता है।

- **7. राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 (National Mineral Policy 2019)**
- सतत खनन (Sustainable Mining)
- पर्यावरण संतुलन
- स्थानीय समुदाय की भागीदारी
- ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस

अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता

Result Mitra

- **To the point Short Notes:-**
- अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता एवं खदान कार्रवाई सहायता दिवस
- तारीख: 4 अप्रैल
- 1. उद्देश्य:
- युद्ध के बाद बची बारूदी सुरंगों से खतरों के प्रति जागरूकता।
- पीड़ितों की सहायता और पुनर्वास को बढ़ावा देना।

- **2. स्थापना:**
- घोषित: 8 दिसंबर 2005 (UN महासभा)
- पहली बार मनाया गया: 2006

- **3. आयोजक संस्था:**
- UNMAS (United Nations Mine Action Service)

- 4. कार्य:
- बारूदी सुरंग हटाना
- शिक्षा और जागरूकता
- पीड़ित सहायता
- तकनीकी और नीति सहयोग
- 5. खतरे:
- लाखों विस्फोटक अब भी ज़मीन में।
- अफगानिस्तान, सीरिया, यमन आदि अधिक प्रभावित।

- **6. भारत का दृष्टिकोण:**
- बारूदी सुरंगों का उत्पादन करता है।
- Mine Ban Treaty (ओटावा संधि) पर हस्ताक्षर नहीं किया।
- UN शांति अभियानों में सहयोग देता है।
- **7. थीम:**
- 2024: "Protecting Lives. Building Peace."
- 2025: "सुरक्षित भविष्य यहीं से शुरू होता है"

- **भारत में खदान कानून (Mining Laws in India)**
- **1. MMDR Act, 1957**
- Major & Minor Minerals में वर्गीकरण
- केंद्र सरकार – Major Minerals
- राज्य सरकार – Minor Minerals

- **2. संशोधन 2015 व 2021:**
- नीलामी आधारित लाइसेंस
- DMF & NMET की स्थापना
- निजी क्षेत्र को बढ़ावा

- **3. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986:**
- खनन के लिए EIA और पर्यावरणीय स्वीकृति अनिवार्य।

- **4. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980:**
- वन क्षेत्र में खनन हेतु केंद्र की मंजूरी आवश्यक।
- **5. कोयला खनन विशेष अधिनियम, 2015:**
- रद्द की गई खदानों का पुन: आवंटन।
- **6. खदान अधिनियम, 1952:**
- श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करता है।
- **7. राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019:**
- सतत विकास, स्थानीय भागीदारी, पर्यावरण संरक्षण।

प्रश्न 1: "Mine Action" कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं?

1. "Mine Action" का तात्पर्य केवल खदानों को हटाने की प्रक्रिया से है।
2. संयुक्त राष्ट्र Mine Action Service (UNMAS) Mine Action गतिविधियों का समन्वय करता है।
3. भारत Mine Ban Treaty (Ottawa Treaty) का हस्ताक्षरकर्ता है।

उत्तर विकल्प:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) केवल 2

उत्तर: (d) केवल 2

व्याख्या:

• "Mine Action" में सिर्फ खदान हटाना ही नहीं, बल्कि पीड़ितों की सहायता, खतरों की जानकारी, और पुनर्वास जैसे पहलू भी शामिल हैं।

• UNMAS (United Nations Mine Action Service) इसकी अंतरराष्ट्रीय निगरानी करता है। भारत Mine Ban Treaty का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, क्योंकि भारत अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं के कारण इससे बाहर है।

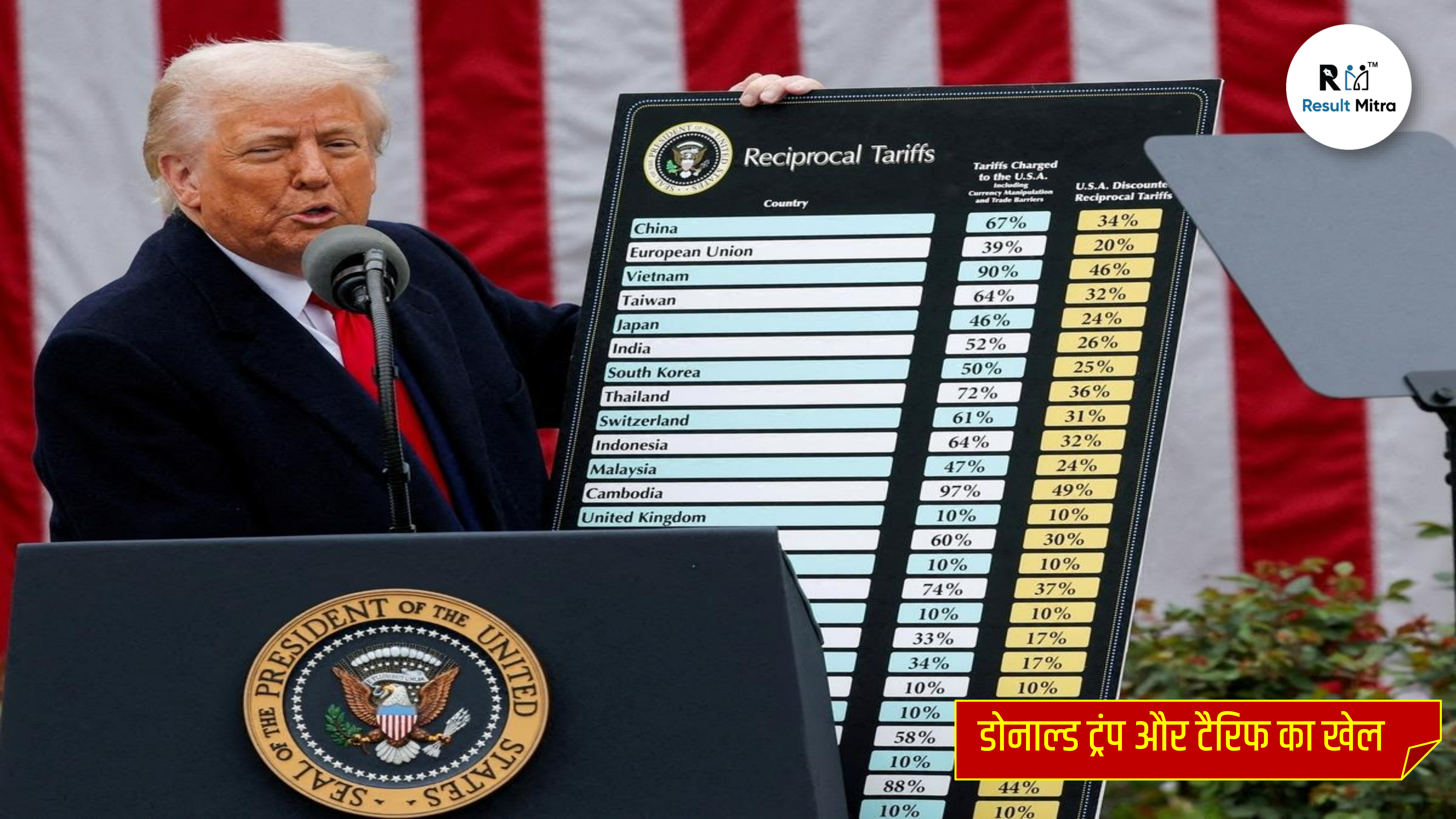
Result Mitra
Reciprocal Tariffs
Country
Tariffs Charged to the U.S.A. Including Currency Manipulation and Trade Barriers
U.S.A. Discounted Reciprocal Tariffs
China 67% 34%
European Union 39% 20%
Vietnam 90% 46%
Taiwan 64% 32%
Japan 46% 24%
India 52% 26%
South Korea 50% 25%
Thailand 72% 36%
Switzerland 61% 31%
Indonesia 64% 32%
Malaysia 47% 24%
Cambodia 97% 49%
United Kingdom 10% 10%
60% 30%
10% 10%
74% 37%
10% 10%
33% 17%
34% 17%
10% 10%
10%
58%
10%
88% 44%
10% 10%
SEAL OF THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES
डोनाल्ड ट्रंप और टैरिफ का खेल

प्रश्न 1: निम्नलिखित में से कौन-से टैरिफ के संभावित प्रभाव हो सकते हैं?
1. उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं की कीमतें बढ़ना
2. घरेलू उद्योगों को संरक्षण मिलना
3. निर्यात में तत्काल वृद्धि
कूट:
a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) 1, 2 और 3 सभी

डोनाल्ड ट्रंप और टैरिफ का खेल

Daily Current News

Result Mitra

- **अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए ट्रंप का पारस्परिक टैरिफ एलान**
- **टैरिफ की घोषणा:**
- भारत: 26%
- चीन: 34%
- यूरोपीय संघ: 20%
- जापान: 24%

Reciprocal Tariffs

Country	Tariffs Charged to the U.S.A. Including Currency Manipulation and Trade Barriers	U.S.A. Discounted Reciprocal Tariffs
China	67%	34%
European Union	39%	20%
Vietnam	90%	46%
Taiwan	64%	32%
Japan	46%	24%
India	52%	26%
South Korea	50%	25%
Thailand	72%	36%
Switzerland	61%	31%
Indonesia	64%	32%
Malaysia	47%	24%
Cambodia	97%	49%
United Kingdom	10%	10%
South Africa	60%	30%
Brazil	10%	10%
Bangladesh	74%	37%
Singapore	10%	10%
Israel	33%	17%
Philippines	34%	17%

- वियतनाम: 46%
- ताइवान: 32%
- यूनाइटेड किंगडम: 10%
- बांग्लादेश: 37%
- पाकिस्तान: 29%
- श्रीलंका: 44%
- इजरायल: 17%

डोनाल्ड ट्रंप और टैरिफ का खेल

Daily Current News

Result Mitra

- **मुख्य बिंदु:**
- अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए अलग-अलग देशों पर अलग-अलग टैरिफ लागू।
- ट्रंप ने इसे "अमेरिका की आज़ादी" करार दिया।
- विदेशी निर्मित ऑटोमोबाइल पर 25% शुल्क लगाया जाएगा।
- ट्रंप ने कहा कि अन्य देशों की ऊंची टैरिफ दरों से अमेरिकी उद्योगों को नुकसान हुआ है।
- उन्होंने पिछले अमेरिकी नेताओं को इसका ज़िम्मेदार ठहराया।
- ट्रंप के अनुसार, अमेरिकी करदाताओं को 50 वर्षों से ठगा जा रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।

- **टैरिफ (Tariff) –**
- **परिभाषा:**
- टैरिफ का अर्थ किसी देश द्वारा आयातित (imported) या निर्यातित (exported) वस्तुओं पर लगाए गए कर (duty) से है। इसे सीमा शुल्क (Custom Duty) भी कहा जाता है।
- **टैरिफ के प्रकार:**
- 1. आयात शुल्क (Import Tariff) – किसी देश में बाहर से आने वाले उत्पादों पर लगाया जाने वाला कर।
- 2. निर्यात शुल्क (Export Tariff) – देश से बाहर भेजे जाने वाले उत्पादों पर लगाया जाने वाला कर।

Tariff

['ter-əf]

A tax imposed by one country on the goods and services imported from another country to influence it, raise revenues, or protect competitive advantages.

डोनाल्ड ट्रंप और टैरिफ का खेल

Daily Current News

Result Mitra

- 3. विशिष्ट टैरिफ (Specific Tariff) – एक निश्चित राशि के रूप में लगाया जाता है, जैसे प्रति यूनिट शुल्क।
- 4. समीकृत टैरिफ (Ad Valorem Tariff) – वस्तु के मूल्य के अनुपात में कर लगाया जाता है, जैसे 10% शुल्क।
- 5. संयोजित टैरिफ (Compound Tariff) – विशिष्ट और समीकृत टैरिफ का मिश्रण।

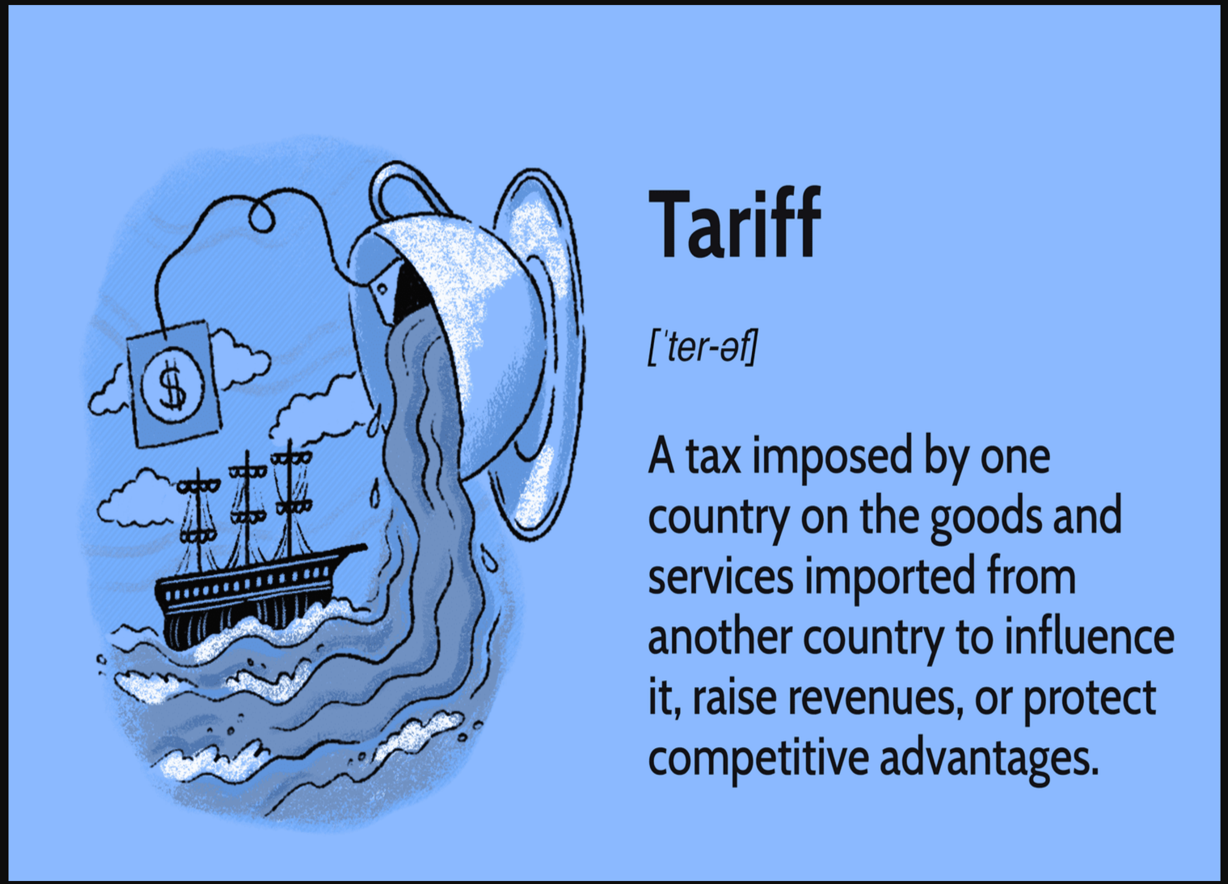

- **टैरिफ लगाने के उद्देश्य:**
- घरेलू उद्योगों की सुरक्षा – सस्ते आयातित उत्पादों से घरेलू निर्माताओं को बचाना।
- राजस्व संग्रहण – सरकार के लिए आय का एक स्रोत।
- व्यापार संतुलन – व्यापार घाटे को कम करने के लिए टैरिफ लगाया जाता है।
- रोजगार सृजन – घरेलू उत्पादन बढ़ाने से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं।

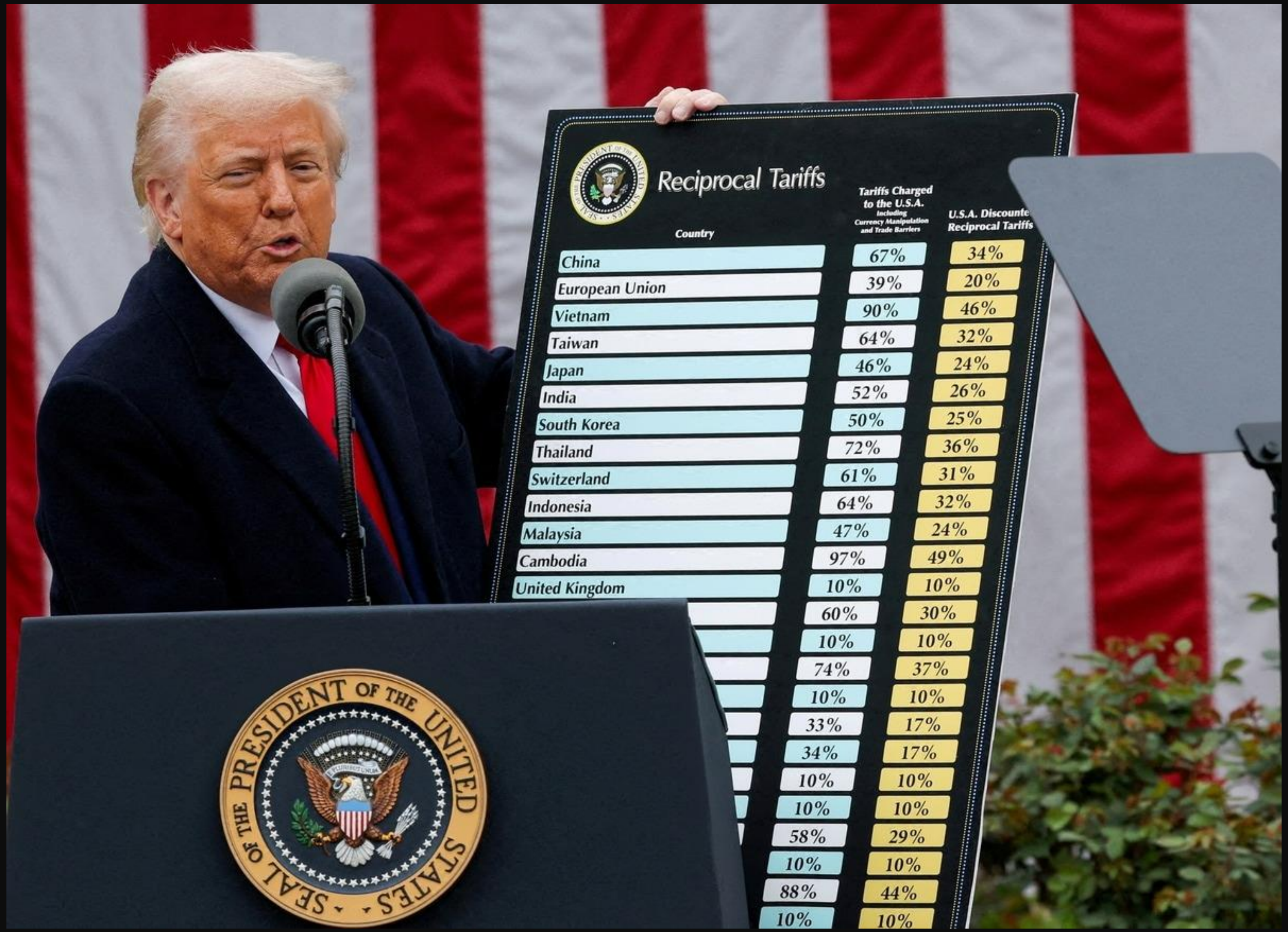

- **हालिया घटनाक्रम :**
- अमेरिका का पारस्परिक टैरिफ (Reciprocal Tariff):
- अमेरिका ने चीन (34%), भारत (26%), यूरोपीय संघ (20%) सहित कई देशों पर टैरिफ लगाया।
- उद्देश्य: "मेक अमेरिका वेल्थी अगेन" के तहत अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना।
- ऑटोमोबाइल पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाया गया।

- **भारत में टैरिफ नीतियाँ:**
- आत्मनिर्भर भारत के तहत टैरिफ बढ़ाकर घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने की नीति।
- विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक, फार्मा, और कृषि उत्पादों पर टैरिफ संशोधन।
- **टैरिफ के प्रभाव:**
- **सकारात्मक प्रभाव:**
- घरेलू उद्योगों की सुरक्षा

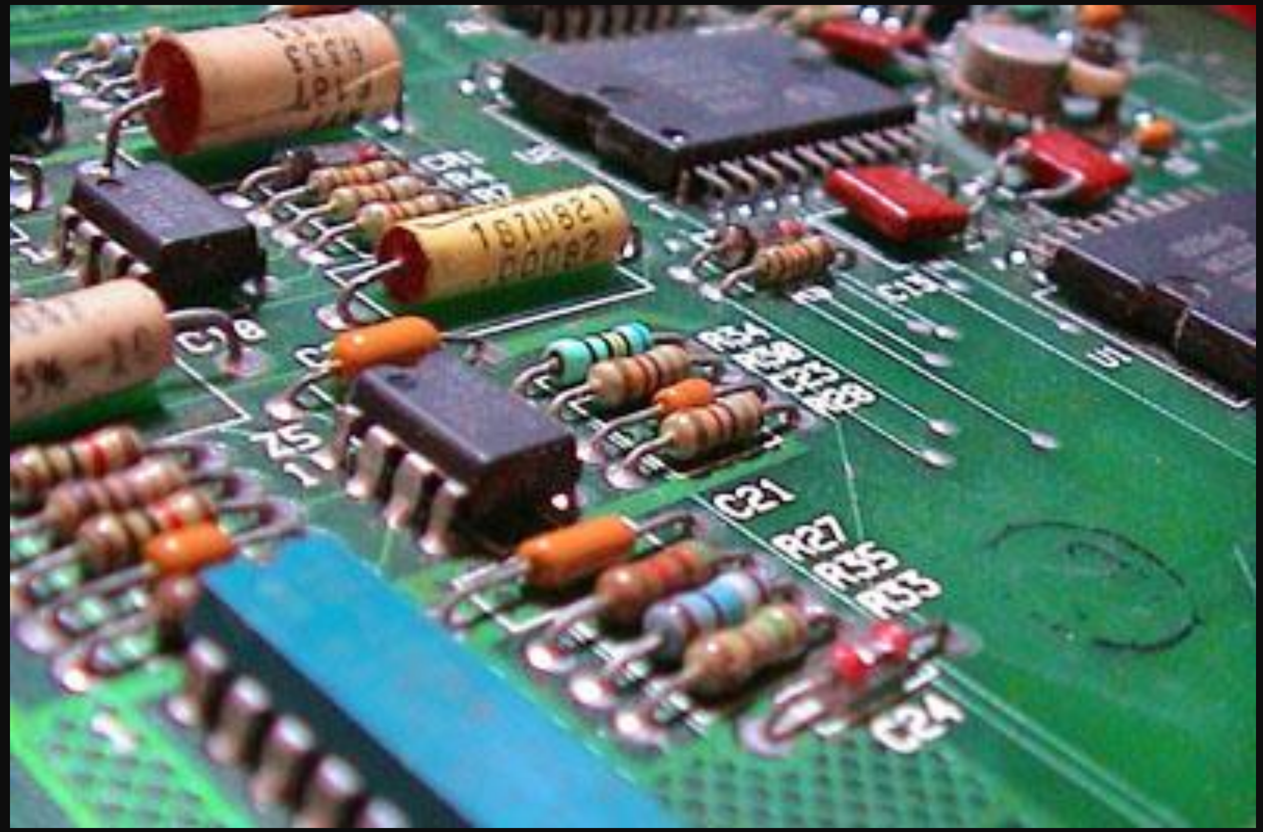

- रोजगार के अवसर बढ़ते हैं
- व्यापार घाटे में कमी
- सरकार के लिए राजस्व बढ़ता है

- **नकारात्मक प्रभाव:**
- उपभोक्ताओं पर अधिक लागत का बोझ
- व्यापार युद्ध (Trade War) का खतरा
- वैश्विक व्यापार संबंधों में तनाव
- निर्यात में कमी

प्रश्न 1: निम्नलिखित में से कौन-से टैरिफ के संभावित प्रभाव हो सकते हैं?

1. उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं की कीमतें बढ़ना
2. घरेलू उद्योगों को संरक्षण मिलना
3. निर्यात में तत्काल वृद्धि

कूट:

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) 1, 2 और 3 सभी

उत्तर: a
व्याख्या:
टैरिफ आयातित वस्तुओं को महंगा बनाता है जिससे घरेलू वस्तुओं की मांग बढ़ती है, लेकिन यह निर्यात को सीधे प्रभावित नहीं करता।

Result Mitra
मध्य प्रदेश खेल अवॉर्ड
मध्यप्रदेश शिखर खेल पुरस्कार 2023

मध्यप्रदेश शिखर खेल पुरस्कार 2023

Daily Current News

Result Mitra

प्रश्न 1: निम्नलिखित में से कौन-से जोड़े सही सुसंगत हैं?

पुरस्कार	संबंधित क्षेत्र
1. ध्यानचंद पुरस्कार	आजीवन उपलब्धि
2. अर्जुन पुरस्कार	प्रशिक्षकों के लिए
3. द्रोणाचार्य पुरस्कार	खिलाड़ियों के लिए

कूट:

a) केवल 1

b) केवल 1 और 2

c) केवल 2 और 3

d) 1, 2 और 3

मध्यप्रदेश शिखर खेल पुरस्कार 2023

Daily Current News

- **मध्यप्रदेश शिखर खेल पुरस्कार 2023**
- **घोषणा:** मध्यप्रदेश शासन ने राज्य स्तरीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की।
- कुल पुरस्कार: 12 विक्रम, 11 एकलव्य, 3 विश्वामित्र और 1 लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार।
- घोषणा करने वाले: खेल मंत्री विश्वास सारंग।

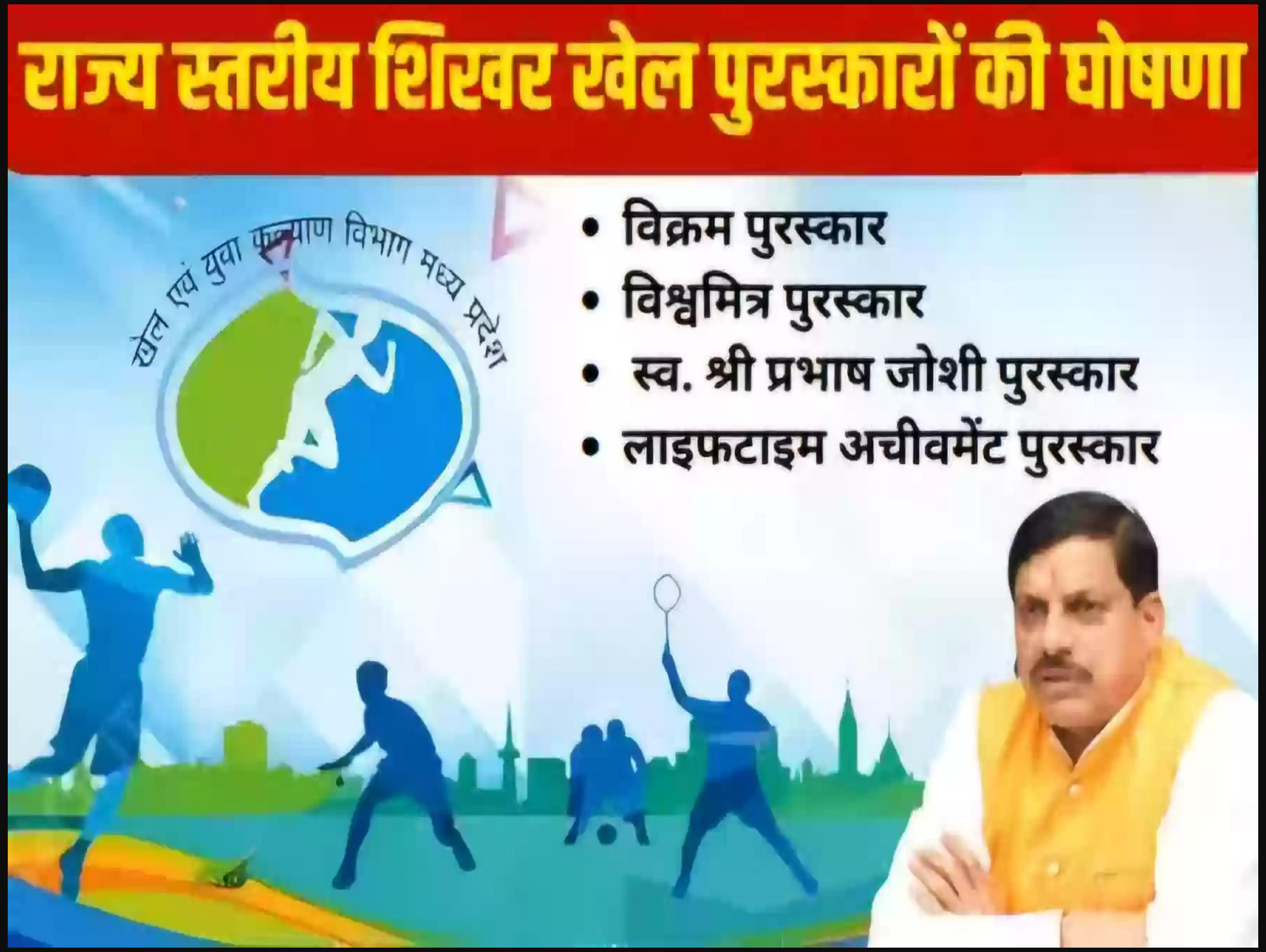

- **पुरस्कारों का विवरण:**
- **1. विक्रम पुरस्कार (सीनियर खिलाड़ी)**
- ओलिंपिक, एशियन गेम्स और राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों के लिए।
- कुल विजेता: 12 खिलाड़ी।
- पुरस्कार राशि: ₹2 लाख + स्मृति चिन्ह।

- **2. एकलव्य पुरस्कार (जूनियर खिलाड़ी)**
- 21 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए।
- कुल विजेता: 11 खिलाड़ी।
- पुरस्कार राशि: ₹1 लाख + स्मृति चिन्ह।

मध्यप्रदेश शिखर खेल पुरस्कार 2023

Daily Current News

Result Mitra

- **3. विश्वामित्र पुरस्कार (प्रशिक्षक/कोच)**
- खेल प्रतिभाओं को निखारने वाले समर्पित प्रशिक्षकों को सम्मान।
- कुल विजेता: 3 कोच।
- पुरस्कार राशि: ₹2 लाख + स्मृति चिन्ह।

- **4. लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार**
- खेल जगत में जीवनभर के योगदान के लिए दिया जाता है।
- वर्ष 2023 का पुरस्कार: उज्जैन के रतनलाल वर्मा (जिम्नास्टिक) को।
- **लाइफ टाइम अचीवमेंट :-**
- यह पुरस्कार 2002 से प्रारंभ किया गया है।
- यह सम्मान उन खेल हस्तियों को दिया जाता है, जिन्होंने प्रदेश में खेलों के विकास में जीवनपर्यंत योगदान दिया हो।
- पुरस्कार में ₹2,00,000 की राशि और स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाएगा।

मध्यप्रदेश शिखर खेल पुरस्कार 2023

Daily Current News

- **इन खिलाड़ियों को विक्रम पुरस्कार (12 पुरस्कार)**
- **व्यक्तिगत खेल:** ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर (शूटिंग), जाह्नवी श्रीवास्तव (कयाकिंग-केनोइंग), रागिनी मार्को (तीरंदाजी), शिवानी पवार (कुश्ती), श्रुति यादव (बॉक्सिंग), यामिनी मौर्य (जूडो)।
- दलीय खेल: सचिन भार्गो (खो-खो), नीलू डांडिया (हॉकी), प्रवीण कुमार दवे (सॉफ्टबॉल)।
- दिव्यांग श्रेणी: रूबिना फ्रांसिस (शूटिंग)।
- अन्य खेल: अपूर्व दुबे (पावर लिफ्टिंग), भावना डेहरिया (माउंट एवरेस्ट)।

- **विक्रम पुरस्कार**
- यह पुरस्कार वर्ष 1972 से प्रदान किया जा रहा है।
- सीनियर खिलाड़ियों को दिया जाने वाला यह पुरस्कार ओलंपिक, एशियन गेम्स और राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाले 6 व्यक्तिगत, 3 टीम, 1 दिव्यांग, 1 पारंपरिक खेल और 1 साहसिक खेल में दिया जाता है।
- पुरस्कार के रूप में ₹2,00,000 की राशि और स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाएगा।
- सम्मानित खिलाड़ियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित कर शासकीय सेवा में नियुक्ति दी जाती है।

मध्यप्रदेश शिखर खेल पुरस्कार 2023

Daily Current News

Result Mitra

- **इन्हें मिलेगा एकलव्य पुरस्कार (15 पुरस्कार)**
- अंकित पाल
- प्रभाकर राजावत
- प्रखर जोशी
- अर्जुन वास्कले
- भूमि बघेल
- प्रियांशी प्रजापत
- गौरव पचौरी
- ऋतुराज बुंदेला

- कृष्ण मिश्रा
- नेहा ठाकुर
- पूजा डांगी
- **एकलव्य पुरस्कार**
- जूनियर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 1996 से प्रारंभ किया गया।
- 21 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है।
- 9 व्यक्तिगत, 3 टीम, 1 दिव्यांग, 1 पारंपरिक और 1 साहसिक खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा।

- प्रत्येक विजेता को ₹1,00,000 की राशि और स्मृति चिन्ह दिया जाएगा।
- **इन्हें विश्वामित्र अवॉर्ड**
- अशोक कुमार यादव
- लोकेंद्र शर्मा
- पीयुष कांति बारोई
- **विश्वामित्र पुरस्कार (3 पुरस्कार)**
- प्रशिक्षकों को समर्पित यह पुरस्कार वर्ष 1995-96 से दिया जा रहा है।

मध्यप्रदेश शिखर खेल पुरस्कार 2023

Daily Current News

- 2 व्यक्तिगत खेल और 1 टीम खेल के प्रशिक्षकों को यह सम्मान प्रदान किया जाता है।
- प्रत्येक विजेता को ₹2,00,000 की राशि और स्मृति चिन्ह दिया जाएगा।

प्रश्न 1: निम्नलिखित में से कौन-से जोड़े सही सुसंगत हैं?

पुरस्कार	संबंधित क्षेत्र
1. ध्यानचंद पुरस्कार	आजीवन उपलब्धि
2. अर्जुन पुरस्कार	प्रशिक्षकों के लिए
3. द्रोणाचार्य पुरस्कार	खिलाड़ियों के लिए

कूट:

a) केवल 1

b) केवल 1 और 2

c) केवल 2 और 3

d) 1, 2 और 3

उत्तर: a
व्याख्या:
- ध्यानचंद पुरस्कार खेलों में आजीवन उपलब्धि के लिए
- अर्जुन पुरस्कार - खिलाड़ियों के लिए
- द्रोणाचार्य पुरस्कार - प्रशिक्षकों के लिए

Result Mitra
गिरफ्तारी के दौरान कानूनी
मानदंडों का पालन अनिवार्य

प्रश्न 1: Statement-1: एक व्यक्ति को बिना वारंट के भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है।
Statement-II: भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) के तहत, गैर-जमानती अपराधों की स्थिति में पुलिस को वारंट की आवश्यकता नहीं होती।

कूट:

a) केवल स्टेटमेंट-I सही है
b) केवल स्टेटमेंट II सही है
c) दोनों सही हैं और स्टेटमेंट-II, स्टेटमेंट I की सही व्याख्या है
d) दोनों गलत हैं

- **सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: गिरफ्तारी के दौरान कानूनी मानदंडों का पालन अनिवार्य**
- सुप्रीम कोर्ट ने सोमनाथ बनाम महाराष्ट्र राज्य (2023) मामले में स्पष्ट किया कि देशभर की सभी पुलिस इकाइयों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को गिरफ्तारी एवं हिरासत के दौरान संविधान और कानून द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा।

- यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले डी. के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997) में दिए गए 11 मुख्य दिशा-निर्देशों पर आधारित है, जिनका उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है।

गिरफ्तारी के दौरान कानूनी मानदंडों का पालन अनिवार्य

Daily Current News

- **मुख्य दिशा-निर्देश (डी. के. बसु केस के आधार पर):**
- **1. सही पहचान:**
- गिरफ्तारी करने वाले अधिकारियों को नाम और पदनाम सहित पहचान पत्र या बैज पहनना अनिवार्य है, जिससे उनकी पहचान स्पष्ट हो सके।
- **2. गिरफ्तारी ज्ञापन:**
- गिरफ्तारी के समय एक ज्ञापन तैयार किया जाए जिसमें गिरफ्तारी का दिन, समय, स्थान हो। इसे एक स्वतंत्र गवाह और गिरफ्तार व्यक्ति से हस्ताक्षरित कराना होगा।

- **3. रिश्तेदार/मित्र को सूचना:**
- गिरफ्तार व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह किसी रिश्तेदार, मित्र या परिचित को गिरफ्तारी की जानकारी दे सके।
- **4. सूचना का पंजीकरण:**
- जिसे गिरफ्तारी की सूचना दी गई है, उसका नाम और पता पुलिस रजिस्टर में दर्ज किया जाए।
- **5. स्वास्थ्य परीक्षण (मेडिकल एग्ज़ामिनेशन):**
- गिरफ्तारी के समय शारीरिक स्थिति की जाँच की जाए और किसी भी प्रकार की चोट या निशान को दर्ज किया जाए। हर 48 घंटे में एक बार सरकारी डॉक्टर द्वारा जांच आवश्यक है।

- **6. गिरफ्तार व्यक्ति की डायरी:**
- गिरफ्तारी से संबंधित सभी विवरण जैसे गिरफ्तारी का स्थान, समय, कारण, सूचना दिए गए व्यक्ति का नाम आदि एक केस डायरी में दर्ज किया जाना चाहिए।
- **7. प्रेस और पुलिस कंट्रोल रूम में जानकारी:**
- गिरफ्तारी की जानकारी जिला स्तर पर प्रेस या पुलिस कंट्रोल रूम में दी जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
- **8. गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकारों की जानकारी:**
- उसे मौखिक और लिखित रूप में अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी दी जाए।

- **9. वकील से मिलना:**
- गिरफ्तार व्यक्ति को अपने वकील से मिलने की अनुमति दी जाए, विशेष रूप से पूछताछ के दौरान।
- **10. मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी:**
- गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना अनिवार्य है।
- **11. परिवार को सूचित करने का बोर्ड:**
- गिरफ्तार व्यक्ति के थाना परिसर में इस बात की सूचना बोर्ड पर चस्पा की जाए कि वह कहां और किस हालत में है।

- **महत्व क्यों है?**
- **मानवाधिकारों की रक्षा**: इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य नागरिकों को अनावश्यक या अवैध गिरफ्तारी से बचाना है।
- पारदर्शिता और उत्तरदायित्व: पुलिस की कार्रवाई पारदर्शी हो, ताकि किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न हो।
- न्यायिक निगरानी: अदालतों के माध्यम से इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

- गिरफ्तार व्यक्तियों के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपाय
- गिरफ्तारी के बाद भी किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार समाप्त नहीं होते। संविधान, कानून, न्यायिक दिशा-निर्देश और अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ गिरफ्तार व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं।
- **1. संवैधानिक सुरक्षा (Constitutional Safeguards):**
- **अनुच्छेद 22 (1):**
- प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को वकील से परामर्श लेने और उसका सहयोग प्राप्त करने का अधिकार है।

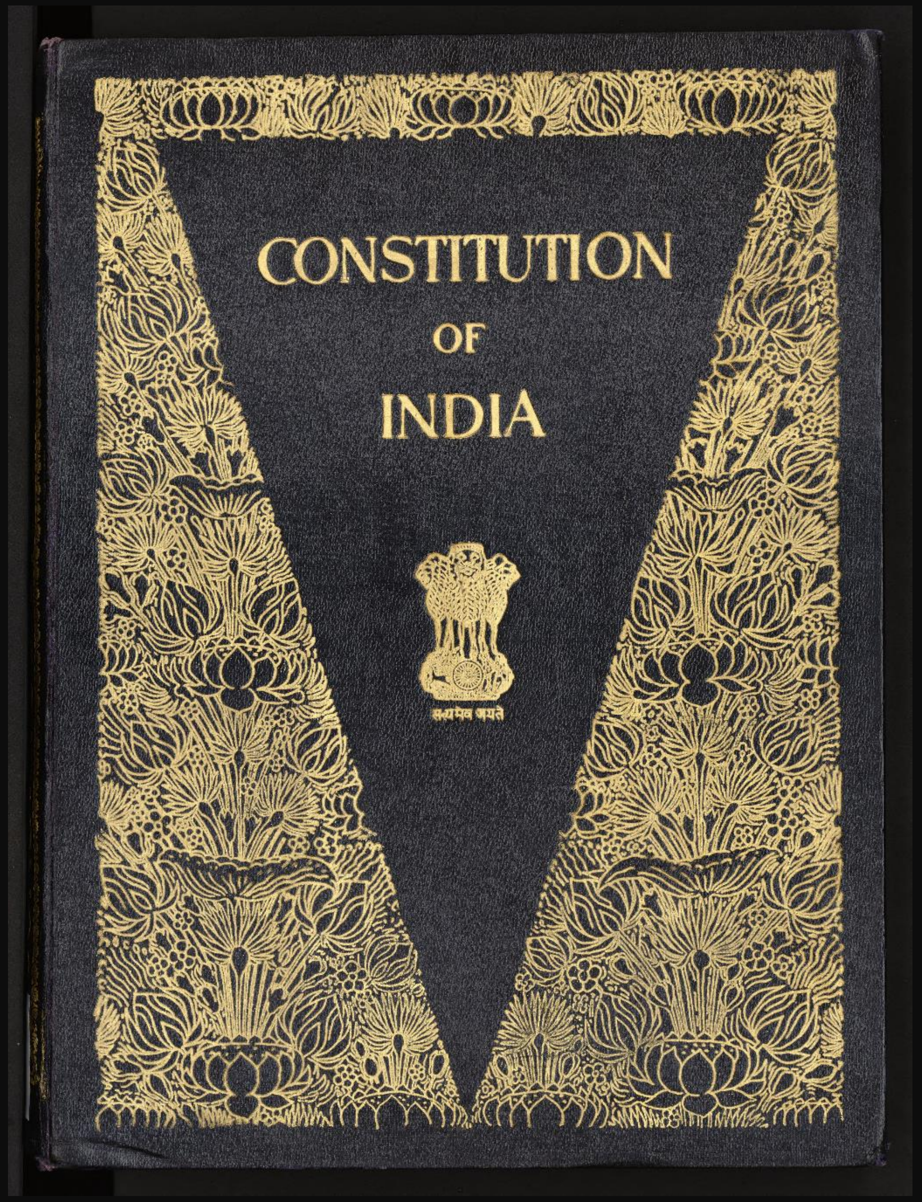

- **अनुच्छेद 22 (2):**
- गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना अनिवार्य है।
- **अनुच्छेद 21:**
- "जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार" हिरासत में भी बना रहता है। बिना प्रक्रिया के किसी की स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती।

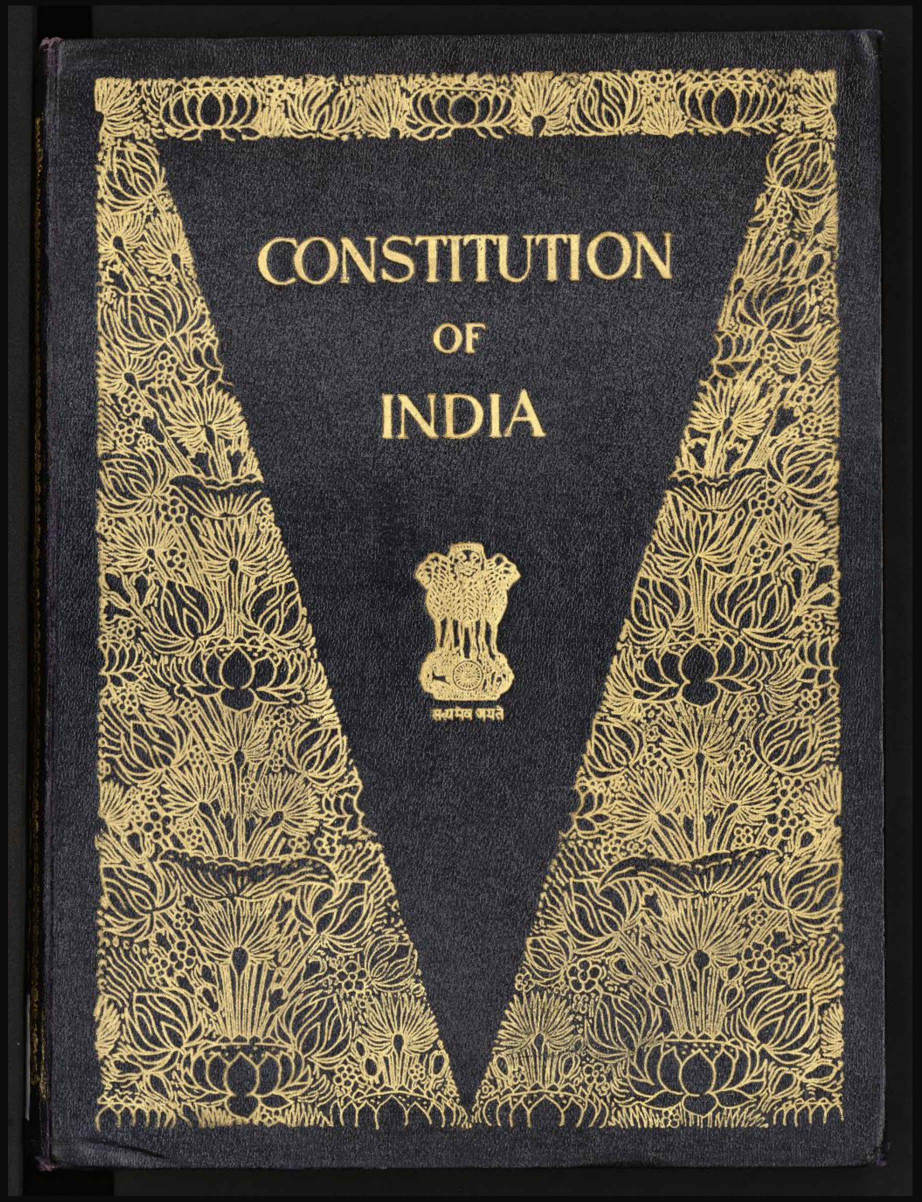

- **2. कानूनी सुरक्षा (Statutory Safeguards):**
- **भारतीय दंड संहिता (IPC):**
- धारा 330: पुलिस या किसी व्यक्ति द्वारा जबरन अपराध स्वीकार करवाने के लिए चोट पहुँचाने पर सजा।
- धारा 331: हिरासत में गंभीर चोट या यातना देने पर कठोर दंड का प्रावधान।

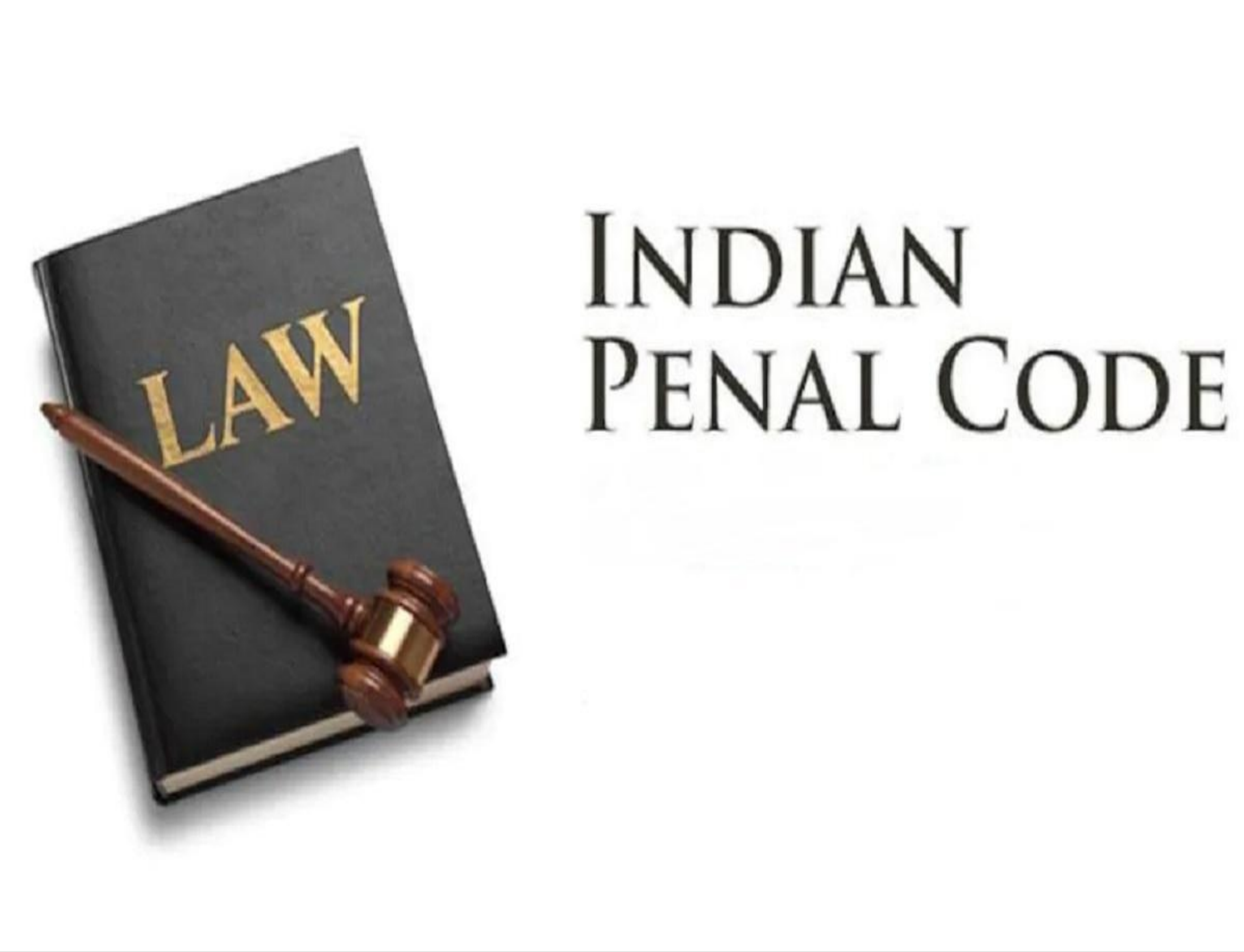

गिरफ्तारी के दौरान कानूनी मानदंडों का पालन अनिवार्य

Daily Current News

Result Mitra

- **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023:**
- धारा 196: हिरासत में हुई मौत या संदिग्ध परिस्थिति में मजिस्ट्रेट द्वारा अनिवार्य जांच का प्रावधान।

- **दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC):**
- धारा 41B: गिरफ्तारी के दौरान पारदर्शिता और दस्तावेज़ीकरण आवश्यक है।
- धारा 50: गिरफ्तारी के समय व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण और ज़मानत के अधिकारों की जानकारी देना अनिवार्य है।

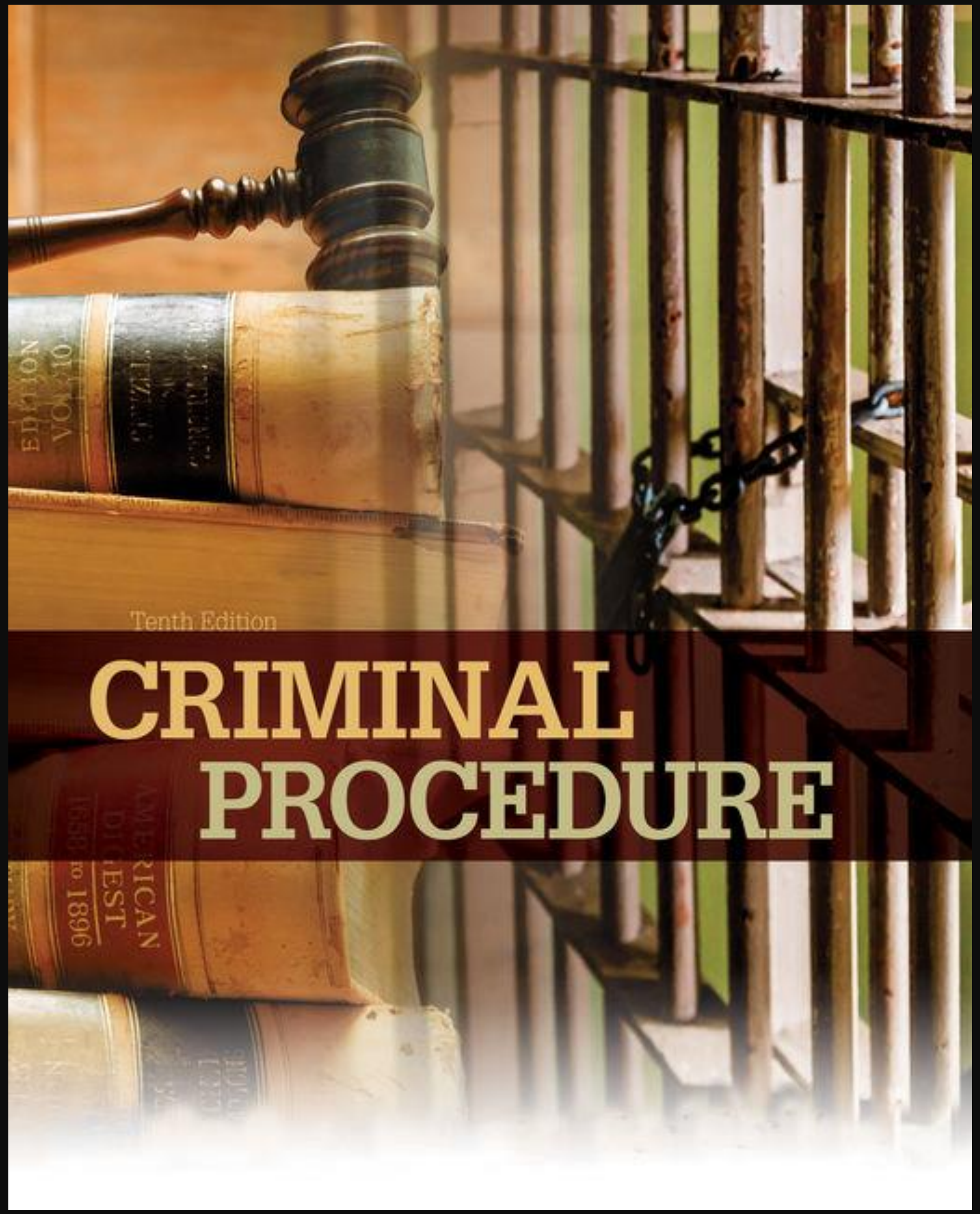

- **3. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के दिशा-निर्देश:**
- वर्ष 1993 में NHRC ने हिरासत में होने वाली मौतों और पुलिस यातनाओं को रोकने हेतु दिशा-निर्देश जारी किए:
- प्रत्येक हिरासत में मृत्यु या बल प्रयोग की सूचना 24 घंटे में NHRC को दी जाए।
- शव का पोस्टमार्टम स्वतंत्र डॉक्टरों द्वारा वीडियोग्राफी के साथ किया जाए।
- हिरासत में प्रत्येक घटना की स्वतंत्र जांच सुनिश्चित हो।

- **4. अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा उपाय:**
- **ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights):**
- भारत इस संधि का हिस्सा है।
- इसमें निष्पक्ष सुनवाई, वकील तक पहुंच, यातना से सुरक्षा, और उचित प्रक्रिया के अधिकार शामिल हैं।
- यूनाइटेड नेशन्स की "Manila Declaration" और "Code of Conduct for Law Enforcement Officials":
- हिरासत में मानवीय व्यवहार और कानून का पालन सुनिश्चित करने हेतु वैश्विक मानक तय किए गए हैं।

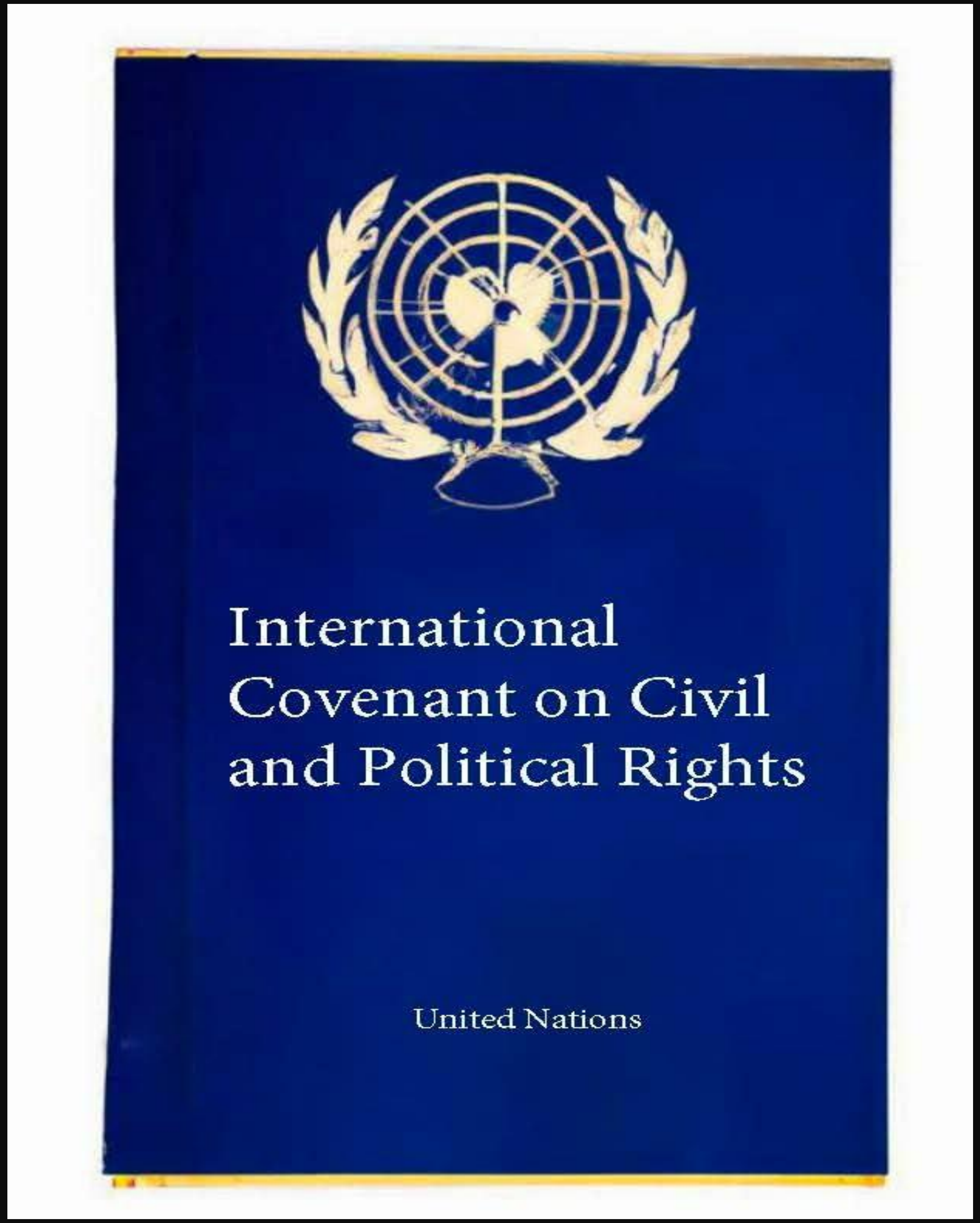

- **5. अन्य व्यावहारिक उपाय:**
- **CCTV निगरानी:**
- थानों और लॉकअप में CCTV लगाने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए हैं।
- **कानूनी सहायता सेवाएँ:**
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) गरीब या असहाय व्यक्ति को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है।
- हिरासत रजिस्टर का निरीक्षण:
- मजिस्ट्रेट्स और NHRC समय-समय पर पुलिस थानों का निरीक्षण करते हैं।

गिरफ्तारी के दौरान कानूनी मानदंडों का पालन अनिवार्य

Daily Current News

Result Mitra

प्रश्न 1: Statement-1: एक व्यक्ति को बिना वारंट के भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है।
Statement-II: भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) के तहत, गैर-जमानती अपराधों की स्थिति में पुलिस को वारंट की आवश्यकता नहीं होती।

कूट:

a) केवल स्टेटमेंट-I सही है

b) केवल स्टेटमेंट II सही है

c) दोनों सही हैं और स्टेटमेंट-II, स्टेटमेंट I की सही व्याख्या है

d) दोनों गलत हैं

उत्तर: c

व्याख्या:

CrPC की धारा 41 के तहत पुलिस गंभीर अपराधों (गैर-जमानती) में बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है।

Result Mitra
शून्य काल (Zero Hour)

शून्य काल (Zero Hour)

Daily Current News

प्रश्न 1: Statement-1: शून्य काल भारतीय संसद की कार्यवाही का एक औपचारिक और संवैधानिक रूप से परिभाषित हिस्सा है।
Statement-II: शून्य काल में सांसद किसी भी सार्वजनिक महत्व के विषय को बिना पूर्व सूचना के उठा सकते हैं।

कूट:
a) केवल स्टेटमेंट-I सही है
b) केवल स्टेटमेंट-II सही है
c) दोनों सही हैं
d) दोनों गलत हैं

शून्य काल (Zero Hour)

Daily Current News

Result Mitra

- **1. शून्य काल क्या है?**
- **परिभाषा:**
- शून्य काल वह समय होता है जो प्रश्नकाल (Question Hour) समाप्त होने और सदन में सूचीबद्ध विषयों पर चर्चा शुरू होने के बीच आता है।
- **समय:**
- यह आमतौर पर दोपहर 12 बजे शुरू होता है, इसलिए इसे "शून्य काल" (Zero Hour) कहा जाता है।

- **औपचारिक मान्यता:**
- यह भारत की संसदीय प्रक्रिया में औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है, यानी यह संविधान या किसी नियम पुस्तिका में स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं है। फिर भी, यह व्यावहारिक रूप से वर्षों से अपनाया गया है।
- **2. शून्य काल का महत्व**
- सांसद अपने क्षेत्रीय मुद्दों, जनहित के मामलों, या राष्ट्रीय महत्व के सवालों को बिना किसी पूर्व निर्धारित सूची के उठा सकते हैं।
- यह एक लोकतांत्रिक मंच है, जिससे जनता की समस्याएं सीधे संसद में उठाई जाती हैं।

- **3. मामले उठाने की प्रक्रिया**
- सांसदों को अपना मुद्दा उठाने से पहले एक नोटिस देना होता है, जिसमें विषय का संक्षिप्त विवरण होता है।
- लोक सभा अध्यक्ष (Speaker) या राज्य सभा के सभापति (Chairman) यह तय करते हैं कि किसे बोलने की अनुमति दी जाएगी।

- **4. हालिया उदाहरण: ऐतिहासिक कीर्तिमान (3 अप्रैल 2025)**
- लोक सभा में विस्तारित शून्य काल के दौरान एक नया रिकॉर्ड बना:
- 202 सांसदों ने 5 घंटे से अधिक समय में जनहित के मुद्दे उठाए।
- यह सदस्य-सक्रियता और लोकतांत्रिक सहभागिता का बड़ा उदाहरण था।

- **6. शून्य काल से जुड़े तथ्य**
- पहली बार 1962 में लोकसभा में प्रयोग किया गया।
- यह पूरी तरह से भारतीय संसद की विशिष्ट परंपरा है, विश्व की अन्य विधायिकाओं में इसका कोई समकक्ष नहीं।

शून्य काल (Zero Hour)

Daily Current News

Result Mitra

प्रश्न 1: Statement-1: शून्य काल भारतीय संसद की कार्यवाही का एक औपचारिक और संवैधानिक रूप से परिभाषित हिस्सा है।

Statement-II: शून्य काल में सांसद किसी भी सार्वजनिक महत्व के विषय को बिना पूर्व सूचना के उठा सकते हैं।

कूट:

a) केवल स्टेटमेंट-I सही है

b) केवल स्टेटमेंट-II सही है

c) दोनों सही हैं

d) दोनों गलत हैं

उत्तर: b

व्याख्या:

• Statement-1 गलत है क्योंकि शून्य काल संविधान
या संसद के नियमों में नहीं लिखा गया है, यह परंपरा से विकसित हुआ है।

• Statement-II सही है सांसद इस समय बिना पूर्व नोटिस के महत्त्वपूर्ण
मुद्दे उठा सकते हैं।

Result Mitra
Thank you